न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-27RAAJodhpur2024-21RTA225 Peerdansingh ors Vs Harisingh etc

01. पीरदानसिंह पुत्र अमानसिंह
02. प्रेम कंवर पत्नी पेपसिंह
03. रूगपालसिंह पुत्र पेपसिंह
04. हीरसिंह पुत्र कुम्भसिंह
05. परबतसिंह पुत्र कुम्भसिंह
06. सांगसिंह पुत्र कुम्भसिंह
07. खमाकंवर पत्नी जुगतसिंह
08. अर्जुनसिंह पुत्र मूलसिंह
09. कंवराजसिंह पुत्र मोडसिंह
10. भरतसिंह पुत्र चैनसिंह
11. भंवरीकंवर पत्नी चैनसिंह
12. भवानीसिंह पुत्र चैनसिंह नाबालिग जरिये माता भंवरीकंवर पत्नी चैनसिंह
13. गुमानकंवर पत्नी रामसिंह
14. महेन्द्रसिंह पुत्र दलपतसिंह
15. भंवरकंवर पत्नी दलपतसिंह
16. नरेन्द्रसिंह पुत्र दलपतसिंह नाबालिग जरिये माता भंवरकंवर पत्नी दलपतसिंह
17. रावलसिंह पुत्र रामसिंह
18. नाथूसिंह पुत्र पन्नेसिंह

सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- शहीद भंवरसिंह नगर बालेसर दुर्गावता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. हरिसिंह पुत्र मेघसिंह
2. फतेहसिंह पुत्र मेघसिंह
3. वीरकंवर पत्नी मेघसिंह

   समस्त निवासीगण- शहीद भँवरसिंह नगर बालेसर दुर्गावता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
4. उगमसिंह पुत्र पेपसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

5. राजूसिंह पुत्र पेपसिंह
6. सवाईसिंह पुत्र चैनसिंह
7. जितेन्द्रसिंह पुत्र चैनसिंह
8. उगम कंवर पत्नी तेजसिंह
9. जालमसिंह पुत्र गंगासिह
10. राजुसिंह पुत्र दलपतसिंह
11. पपूसिंह पुत्र दलपतसिंह
12. भंवरसिंह पुत्र करनसिंह
13. बदनकंवर पत्नी गंगासिंह
14. महीपालसिंह पुत्र तेजसिंह
15. शुम्भसिंह पुत्र तेजसिंह, नाबालिग जरिये माता उगमकंवर पत्नी तेजसिंह
16. शिवसिंह पुत्र गजेसिंह
17. सवाईसिंह पुत्र रामसिंह
18. इन्द्रसिंह पुत्र भूरसिंह
19. गायड़सिंह पुत्र पदमसिंह
20. चैनसिंह पुत्र भूरसिंह
21. रिड़मलसिंह पुत्र पदमसिंह
22. शैतानसिंह पुत्र भूरसिंह
23. हीरसिंह पुत्र पदमसिंह
24. उत्तमसिंह पुत्र भंवरसिंह
25. गणपतसिंह पुत्र खेतसिंह
26. दुर्गसिंह पुत्र पन्नेसिंह

सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- शहीद भॅवरसिंह नगर बालेसर दुर्गावता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

27. सरपंच ग्राम पंचायत बालेसर दुर्गावता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 29 जनवरी 2024 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 108/2023 हरिसिंह व अन्य बनाम उगमसिंह इत्यादि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-
श्री गुलाबसिंह चम्पावत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री भंवरसिंह तापू, अधिवक्ता-रेस्पो. सं. 1
श्री देवीसिंह राठौड़, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 4 से 7,10,11,12,17,24 व 26
श्री दयारामं चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 28

नि र्ण य

दिनांक : 18 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 108/2023 हरिसिंह व अन्य बनाम उगमसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 29 जनवरी 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 12 फरवरी 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 387 रकबा 0.8256 हैक्टेयर ग्राम शहीद भंवरसिंह नगर में आवागमन हेतु अपीलांट्स एवं अन्य रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा नं. 387/1, 390, 391, 392, 395, 399 में सें प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार 24 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 जनवरी 2024 के जरिये प्रार्थीगण/रेस्पो संख्या एक से तीन का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अपीलांटगण को व्यक्तिगत तामील नहीं हुए तथा उक्त नोटिस भाई व पुत्र से तामील करा दिये तथा कुछ नोटिस आबाद मकान पर चस्पा कर दिये, परन्तु दो मौतबिर के हस्ताक्षर नहीं कराये तथा सभी सम्मन आदेश 5 नियम 15 सीपीसी से 17 की पालना नहीं करते हुए तामील मानते हुए अपीलांटगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही कर दी तथा अपीलांटगण को सुनवाई का मौका नहीं दिया तथा न ही जवाब व साक्ष्य पेश करने का मौका दिया अपीलाधीन आदेश पूर्णतया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया है। विचारण न्यायालय ने आर.टी.एक्ट के तहत बने बने नियम 69 के आज्ञात्मक प्रावधानों के तहत रास्ते के प्रकरण भू-अभिलेख निरीक्षक अथवा उससे उच्च अधिकारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर मामले का निस्तारण कर सकता है। वर्तमान प्रकरण में विचारण न्यायालय ने नियम 69 की पालना ही नही की तथा न ही नियमानुसार रिपोर्ट तलब की। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया, ऐसी स्थिति में निर्णय अपास्त योग्य है। रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तथा प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेंटगण स्वयं ने स्वीकार किया है कि विवादित भूमि में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इस कारण रेस्पोडेंट्स को रास्ते की आवश्यकता ही नहीं है। धारा 251-ए के तहत केवल अत्यधिक आवश्यकता का मार्ग ही उपलब्ध करवाया जा सकता है। रेस्पोडेंट्स अपनी सुविधा हेतु नये रास्ते की मांग नहीं कर सकते है। इसलिए अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेश दिनांक 29 जनवरी 2024 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2022(2)आर.आर.टी. पेज 11281, आर.आर.डी.1999 पेज 158, आर.आर.डी.14.10.2010 पेज 647, राजस्व विभाग का परिपत्र दिनांक 17.02.1985, आर.आर.डी. अक्टू.2002 पेज 580, आर.आर.डी. अक्टू.2002 पेज 444, 2023आर.बी.जे. पेज 55, आर. आर.डी.14.10.2010 पेज 647 की न्यायिक नजीरे पेश की गई।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के लिए आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता मौके पर उपवलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. पक्ष को सुनकर प्रस्तुत मौका फर्द के अनुसार लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा गैर मुमकिन नाला में से होकर रास्ता बताया गया है जो बारिश के मौसम में जलभराव के कारण बंद हो जाता है। कानूनन गैर मुमकिन नाले को रास्ता घोषित नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन रास्ता आगे ऑगनबाड़ी एवं अन्य खेतों में जाता है। अपीलांट्स का उज्र है कि उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ससम्मान परिशीलन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध सम्मन तामील रिपोर्ट के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/अपीलांट्स को तामील हेतु भेजे गये सम्मन **अपीलांट्स रुगपालसिंह, हीरसिंह, कंवराजसिंह के पुत्र इन्द्रसिंह, भरतसिंह, भंवर कंवर, इत्यादि स्वयं पर तामील** करवाये गये है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील नहीं करवायी गई है। लिहाजा अपीलांट्स का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है तथा इस संबंध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने से लागू नहीं होते है।

प्रकरण के गुणावगुण पर अवलोकन मुताबिक मौका फर्द दिनांक 14.12.2023 में रेस्पो. संख्या एक से तीन के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते को निकटतम एवं लघुतम रास्ता बताया गया है तथा रास्ते की भूमि में मौके पर किसी प्रकार का कच्चा-पक्का निर्माण नहीं होना बताया हैं। अपीलांट्स को उज्र है कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु खसरा नं. 384 रकबा 3.8040 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नाले में से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। उक्त मौका फर्द में भी उक्त रास्ते का जिक्र है, किंतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वैकल्पिक रास्ता वर्षा के मौसम में बाधित होता है। किसी काश्तकार के आवागमन हेतु वर्षा की ऋतु महत्वपूर्ण होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि गैर मुमकिन नाले एवं अपीलाधीन रास्ते के अलावा किसी अन्य वैकल्पिक रास्ते का जिक्र अपीलांट्स द्वारा नहीं किया गया है। लिहाजा अपीलांट का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर निकटतम एवं लघुतम रास्ता प्रदान किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 108/2023 हरिसिंह व अन्य बनाम उगमसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 29 जनवरी 2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर